मैं कहना चाहता हूं कि कितना क्षेत्र वहां कृषि का है, कितने में आप की सिंचाई मौजूद है, कितने क्षेत्र को सिंचित करने की आप की योजना है, इस की कोई इन्फार्मेशन नहीं है । इतने दिनों के बाद जिन राज्यों ने आप को सूचना दी, वह भी आप ने पूरी नहीं दी । मैं प्रश्न करता हूं कि इन राज्यों में कितनी कृषि योग्य भूमि है, उसमें कितने प्रतिशत सिंचित हैं, आप की योजना से कितने प्रतिशत में सिंचाई करने की योजना वहां है और वहां पर कंसालिडेशन की तथा सोयल कंजर्वेशन की क्या योजना है ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: All pervading questions. The question did not ask for the information separately regarding the total area under irrigation. This was not the question, but I will still supply some information to the hon. Member. For example in Jammu and Kashmir, the net area sown is seven lakh and sixteen thousand.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If you give it State by State, it will be a long answer. You can place it on the Table of the House.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I will mention two or three things in which the hon. Member is interested. For example, in Himachal Pradesh, the net area sown is 5,49,000 acres and the irrigated area is 92,314. This is 16.8 per cent. In Jammu and Kashmir, the area under irrigation is 38.9 per cent. In Uttar Pradesh, in eight districts, the total sown area is 8,28,381 and the irrigated area is 1,08,903. This is 13 per cent.

(*Interruptions*)

In eight districts. In Arunachal Pradesh, it is 64 per cent. So, the total percentage in hilly areas was 23.6 per cent in 1968 figures whereas the total percentage in the country at that time was about 22.5 per cent.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I want to know whether special fund will be constituted to develop cultivation in the hilly areas and special assistance will be given to the farmers in those areas.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: We have several schemes, as I mentioned, for development of hilly areas, particularly tribal areas also. There subsidy is also given. For community programmes, cent per cent subsidy is given; for individual programmes and for small and marginal farmer programmes, 50 per cent subsidy is given in those areas.

श्री दुर्गाचन्द : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने यह कहा है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में डेजर्ट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत माइनर इरीगेशन के जरिए जमीन इरीगेट की जा रही है, तो लाहौल स्पीति में कितनी जमीन माइनर इरीगेशन के अन्डर में लाई गई है इस प्रोग्राम की तहत और कितना फंड सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लाहौल स्पीति के लिए एलाट किया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: इसके लिए माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें तो मैं सारी इंफार्मेशन दे सकता हूं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: In these hilly areas, the judicious management of water is an important factor and sufficient water is not available for irrigation purpose and for certain minor irrigation schemes as per the report that has been given by the Minister. May I know whether there is any thinking on the part of the Ministry to introduce a sprinkle irrigation in places where land could not be brought under irrigation, either minor irrigation or any other source of irrigation?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: In the areas where land is not smooth; it is undulating, a sprinkle irrigation is also being introduced in some areas.

Handling Operations of Food Corporation of India

*412. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Workers' Co-operative are not ready to undertake handling operations of Food Corporation of India;

(b) if so, what alternative steps the Government propose to take to remove contractor system for this job to minimise expenditure under this head; and

(c) the expenditures incurred under this head during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Although at some places workers' co-operatives are already working in the Food Corporation of India Depots as Handling/ Handling and Transport Contractors, such co-operatives have not yet come forward in sufficient number.

(b) The question of reducing the engagement of contract labour is under active consideration of the Government. Meanwhile, labour cooperatives will be encouraged to take up such contracts whenever possible.

(c) The expenditure on handling and transport operations in godown and ports, booked under the standardised account head "Contractor Labour" in the Corporation for the three years for which accounts have been closed is given below:—

1974-75	Rs. 8.90 crores
1975-76	Rs. 12.86 crores
1976-77	Rs. 22.83 crores

श्री सुरेन्द्र विक्रम : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया है कि श्रमिक सहकारी समितियां इस काम में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रही है और हालत बड़ी खराब है, खाद्य निगम के अनाज की बोरियां खुले में पड़ी रहती हैं, उनकी ढुलाई नहीं हो पा रही है । मैं जानना चाहता हूं क्या सहकारी श्रमिक समितियों को विशेष इंसेंटिव देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जी हां, हम लोग इन को विशेष रियायतों पर भी ठेका देने को तैयार हैं, बशर्ते कि वे कोआपरेटिव्ज बना लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या किसान लोग भी यदि अपनी सोसायटी बना लें और रजिस्टर करा लें, तो आप उनको प्राथमिकता देंगे—ढुलाई के काम में ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह प्रश्न किसानों के बारे में नहीं है, बल्कि गोदामों में काम करने वाले मजदूरों के लिये है ।

श्री राघव जी : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे—कुल कितने हैण्डलिंग कान्टेक्टर्स देश में काम कर रहे हैं ? ये हैण्डलिंग कांट्रेक्टर्स मजदूरों का शोषण करते हैं, इस शोषण को रोकने के लिये कांट्रैक्ट में कौन सी शर्तें लगाई जाती है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : वक्तव्य में कहा गया है कि हम कांट्रेक्ट सिस्टम को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लेबर-कोआपरेटिव्ज उस काम को सम्भाल लें । इसी लिये उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है । अभी तो सिर्फ 7 लेबर कोआपरेटिव्ज बनी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है ।

श्री राघव जी : मैंने पूछा था—कितने कान्ट्रेक्टर्स हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : एफ० सी० आई० के देश भर में लगभग दो-हजार गोदाम हैं, इन में डिपार्टमेन्टलाइज्ड सिस्टम है, कुछ में कोआपरेटिव्ज काम कर रही हैं, जिनका अभी जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादातार कांन्ट्रेक्ट के हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कोआपरेटिव्ज इस लिये फार्म नहीं हो पाती हैं, चूंकि लेबरर्स बहुत गरीब है और कुछ शर्तें ऐसी हैं, जिनके अधीन काफी रुपया एडवांस में जमा कराना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अधिकारियों का एटीचूड भी कुछ इस प्रकार का रहता है । कि व्यक्तिगत ठेकेदार ही उस काम को करें तो वे उस काम को आसानी से करा सकते हैं, उनके साथ वे लोग सम्बन्ध भी स्थापित कर लेते हैं । इस लिये मैं जानना चाहता हूं—क्या आप कोआपरेटिव सोसायटीज के लिये उन शर्तों को रिलैक्स करेंगे ताकि मजदूर स्वयं अपनी संस्थायें बना सकें और इस तरह से जो लाभ उनको मिल सकता है, वह मिल सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह : शर्तों में बहुत रियायत की जा रही है । जैसे सिक्योरिटी देने की बात है—उस में हम यह कर रहे हैं कि उनके जो बिल आयेंगे, उसमें से काट लिया जायगा, उनको एडवांस जमा नहीं करना होगा ।

जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है कि वे कोआपरेटिव्ज नहीं चाहते हैं—इसको भी ओवर कम करने के लिये हमारा ऐसा विचार है—अगर निश्चित समय में कोआपरेटिव्ज नहीं बनेंगी तो कांन्टेक्टपेमेन्ट सिस्टम वहां लागू किया जायगा, लेकिन कांन्ट्रेक्ट सिस्टम जल्द से जल्द समाप्त करने का सरकार का विचार है ।